संख्या:2001/एक-10-2022-33(11)/2021

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
ललितपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, महोबा, जालौन, बाराबंकी, चंदौली, कानपुर देहात, हमीरपुर, चित्रकूट, कानपुर नगर, सीतापुर, बलिया, कौशाम्बी, इटावा, आगरा, बुलन्दशहर, बांदा, बरेली, प्रयागराज, बहराइच, औरैया, फिरोजाबाद, झांसी एवं गोण्डा ।

राजस्व अनुभाग- 10 लखनऊ दिनांक: 25/10/2022

विषयः वितीय वर्ष 2022-23 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई फसलों से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को कृषि निवेश अनुदान के अंतर्गत राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिये राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपदों द्वारा राहत की वेबसाइट पर उपलब्ध "ऑनलाइन कृषि निवेश अनुदान पोर्टल" पर फीड की गयी सूचना/विवरण के आधार पर वितीय वर्ष 2022-23 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई फसलों से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को कृषि निवेश अनुदान के अंतर्गत राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिये **रू० 28,45,75,685/- (रूपये अट्ठाईस करोड़ पौंतालिस लाख पचहत्तर हजार छः सौ पचासी मात्र)** की धनराशि राज्य आपदा मोचक निधि के बाढ़ मद-02 में निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न तालिका के कॉलम-2 में अंकित जनपदों के जिलाधिकारी को कॉलम-4 में अंकित धनराशि के अनुसार अग्रिम रूप से निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्र०सं०	जनपद का नाम	कृषकों की की संख्या	स्वीकृत धनराशि (रूपये में)
1	2	3	4
1	ललितपुर	33257	82252027
2	मिर्जापुर	29176	24607099
3	वाराणसी	9959	27037176
4	महोबा	8550	33757606

5	जालौन	10247	20944923
6	बाराबंकी	5692	22377106
7	चंदौली	5948	9120875
8	कानपुर देहात	5604	8958961
9	हमीरपुर	7964	8261618
10	चित्रकूट	5669	3584816
11	कानपुर नगर	3148	115876
12	सीतापुर	1279	8651136
13	बलिया	3861	4546273
14	कौशाम्बी	2505	2411187
15	इटावा	4696	6968604
16	आगरा	1737	2254314
17	बुलन्दशहर	1284	6425302
18	बांदा	2389	2905867
19	बरेली	1382	4587978
20	प्रयागराज	906	780679
21	बहराइच	709	792609
22	औरैया	1120	160305
23	फिरोजाबाद	769	1626344
24	झांसी	136	751119
25	गोण्डा	121	695885
	योग	**1,48,108**	**28,45,75,685**

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(2) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं०-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक-10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका हैं, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट के माध्यम से कृषि निवेश अनुदान आनलाइन माड्यूल के तहत जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातें में ई-पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(3) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र सं०-33-03/2020-NDM-I (Vol-II), दिनांक-10.10.2022 जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित हैं तथा जो वितीय वर्ष-2022-23 से प्रभावी है, का भी अनुपालन किया जायेगा।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वितीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इस पढ़कर सुनाया भी जाये।

(6) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तद्नुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुप्रयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट https://rahat.up.nic.in पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2023 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(9) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलबब्ध कराया जाये।

(10) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रूपये 28,45,75,685/- (रूपये अट्ठाईस करोड़ पौंतालिस लाख पचहत्तर हजार छः सौ पचासी मात्र)** को चालू वितीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245058000602 बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Signed by सुधीर गर्ग
Date: 25-10-2022 16:15:31
Reason: Approved

(सुधीर गर्ग)
प्रमुख सचिव।

संख्या-2001(1)/एक-10-2022-33(11)/2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज।
2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन(ई-बजट), राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
5- वरिष्ठ वित एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र० ।
6- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ०प्र० ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2022-2023
आवंटन दिनांक-28/10/2022

प्रेषण संख्या:- 2001
आवंटन आदेश संख्या:- 001-2001
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
02 - बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	बुलन्दशहर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	6425302 8825302	6425302 8825302
2	आगरा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2254314 16523505	2254314 16523505
3	बरेली-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4587978 6987978	4587978 6987978
4	इटावा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	6968604 15426786	6968604 15426786
5	कानपुर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	115876 10115876	115876 10115876
6	प्रयागराज-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	780679 23868768	780679 23868768
7	झाँसी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	751119 3151119	751119 3151119
8	जालौन-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	20944923 40544923	20944923 40544923
9	हमीरपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	8261618 26661618	8261618 26661618
10	बांदा -4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2905867 9779803	2905867 9779803
11	वाराणसी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	27037176 63637176	27037176 63637176
12	मिर्ज़ापुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	24607099 83507099	24607099 83507099
13	बलिया-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4546273 51251296	4546273 51251296
14	सीतापुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	8651136 79636136	8651136 79636136
15	गोण्डा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	695885 30648963	695885 30648963
16	बहराइच-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	792609 26922287	792609 26922287
17	बाराबंकी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	22377106 50177106	22377106 50177106
18	ललितपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	82252027 84652027	82252027 84652027
19	कानपुर देहात-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	8958961 38958961	8958961 38958961
20	फिरोजाबाद-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1626344 1626344	1626344 1626344
21	महोबा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	33757606 33757606	33757606 33757606
22	चन्दौली-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	9120875 21620875	9120875 21620875
23	औरैया-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	160305 13940627	160305 13940627
24	कौशाम्बी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2411187 7411187	2411187 7411187
25	चित्रकूट-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3584816 15984816	3584816 15984816
	योग	वर्तमान प्रगामी	284575685 765618184	284575685 765618184

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया अठाईस करोड़ पैंतालीस लाख पचहत्तर हजार छ: सौ पंचासी
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छिहत्तर करोड़ छप्पन लाख अठारह हजार एक सौ चौरासी

28/10/022

(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उ० प्र० शासन।